

**-: निविदा सूचना :-**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत खाली पड़े एवं नवसृजित निम्नांकित ठेकों/स्टालों की नीलामी मुख्यालय के परिपत्र संख्या-2985रोपी/16-39रोपी/जन0/17ई-टेण्डर दिनांक 18.10.2017 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निविदा द्वारा दिनांक 28.03.2018 को कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, अलीगढ़ पर होगी। निविदा फार्म रू0 20.00 नगद जमा करने पर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, अलीगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

- |  |  |
|--|--|
| 1. नीलामी दिनांक :-                          | दिनांक 04-4-2018, समय 15.00 बजे  |
| 2. निविदा फार्म क्रय करने की तिथि:-          | दिनांक 28.03.2018 से 03-4-2018   |
| 3. निविदा फार्म जमा करने का स्थान एवं तिथि:- | दिनांक 04-4-2018, समय 14.00 बजे तक<br>(क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अलीगढ़) |

**4. ठेको का विवरण निम्नवत है:-**

क्रमांक	बस स्टेशन का नाम	ठेका का नाम	स्टाल का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अवधि (अधिकतम)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (प्रतिमाह)
1.	एटा	1. जलपानग्रह 2. जनरल मर्चेन्ट 3. पानस्टाल	30.06 2.23 2.23	3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष	रू0 44165.00 रू0 17570.00 रू0 4835.00
2.	गॉंधीपार्क, अलीगढ़	1. जलपानग्रह 2. बुकस्टाल 3. फलस्टाल 4. शु0शी0पेयजल, चाय/काफी 5. जनरल मर्चेन्ट 6. हस्थशिल्प स्टाल 7. मैडिसिन स्टाल 8. मोबाईल फोन एवं इलै0 गुड्स 9. विजनेस सेन्टर	145.77 5.43 5.30 4.67 5.27 5.30 5.30 5.43 4.97	3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष	रू0 73500.00 रू0 26795.00 रू0 18515.00 रू0 16105.00 रू0 39545.00 रू0 10000.00 रू0 15000.00 रू0 10000.00 रू0 10000.00

निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल-चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर तथा अपनी फोटो (पासपोर्ट साइज) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। साथ ही क्षेत्रीय स्तर के स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु रू0 10000.00 तथा डिपो स्तर के लिए रू0 2000.00 अर्नेष्टमनी जमा करनी होगी। निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए निविदादाता को बन्द लिफाफे में ही निविदा दरों के 03 माह के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, अलीगढ़ के नाम बनवाकर धरोहर राशि के रूप में अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। धरोहर राशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी गई निविदा के सापेक्ष निविदादाता के डिफाल्ट होने पर यह अनिवार्यतः जब्त कर ली जायेगी। किसी भी ठेका को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है। अनुबन्ध की तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिए किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वयमेव किये जाने का प्राविधान है। परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्ही कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा। स्वीकृत किये गये ठेके का जी0एस0टी0 नियमानुसार प्रतिमाह लाईसेन्स फीस के साथ अतिरिक्त जमा करना होगा। जिन स्टाल संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची में है उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

निविदा की शर्तें पूर्ण न पाये जाने पर निविदा प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा। अतः निविदा की शर्तें भली-भाँति पढ़कर ही निविदा फार्म की औपचारिकतायें पूर्ण करें। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निगम के बस स्टेशनों पर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू के विक्रय किये जाने पर प्रतिबन्ध है। अन्य शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम  
अलीगढ़

पत्रांक: क्षेप्र0/अली0/कैन्टीन/विविध/2018-

2085 दिनांक: 28 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़।
2. प्रधान प्रबन्धक (वा0/वि0), महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. सम्पादक महोदय, अमर उजाला/दैनिक जागरण, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम .....।
6. सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़।
7. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/डिपो प्रभारी, अलीगढ़ क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को अपने कार्यालय/बस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

क्षेत्रीय प्रबन्धक